

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
 प्रकरण संख्या Raj-D 31/2017 श्रीमती लक्ष्मीकुमारी बनाम श्रीमती लीला

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09-10-2018	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायतशुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली में दिनांक 21-3-2017 को तनकीयात कायम की गई तथा इसी दिनांक को वकील वादी द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 23-5-2017 की नियत तिथि के स्थान पर प्रकरण को लोक अदालत में रखकर बिना उभयपक्ष की साक्ष्य लिये व प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये सिर्फ वादिया की उपस्थिति में दिनांक 10-5-2017 को वादिया का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया, जो निसन्देह अपीलान्ट प्रतिवादी को प्राकृतिक न्यायनुसार सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया त्रुटिपूर्ण एवं अविधिक निर्णय है।</p> <p>अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10-05-2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में लम्बित आवेदन का निस्तारण कर उभयपक्षों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10-12-2018 को उपस्थित हों।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09-10-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(एल.एन. मंत्री) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Raj-D 31/2017 श्रीमती लक्ष्मीकुमारी बनाम श्रीमती लीला

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Raj-D 31/2017 श्रीमती लक्ष्मीकुमारी बनाम श्रीमती लीला

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Raj-D 31/2017 श्रीमती लक्ष्मीकुमारी बनाम श्रीमती लीला

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गणेश लाल नागदा पिता
श्री कालूलाल नादा निवासी
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल
के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
उदयपुर (राज0)
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर मु0.....
..... उदयपुर मुकाम मुखर्षे.....27..... माह02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 15..... माह06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री सत्य प्रकाश व्यास मिनजानिब अपीलान्त वश्री संजय बोहरा
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित
(Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक
27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रूपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुकमनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Raj-D 31/2017 श्रीमती लक्ष्मीकुमारी बनाम श्रीमती लीला

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य -2

बनाम श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालतभू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारीउदयपुर मुकाम मुखर्ष.....08.....
माह07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25..... माह05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री मन्नाराम डांगी मिनजानिब अपीलान्ट वश्री
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि प्रकरण में
वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन
किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण
संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.
800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर
आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रुपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुकमनामा					
8. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।